न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री सुभाष कुमार आर.ए.एस

मु0नं0:–46/2018

1. तेगपाल पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप जाति जाट निवासी 3 पीपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. कपिल कुमार पुत्र श्री महेन्द्र प्रताप जाति जाट निवासी 3 पीपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
3. दीप्ति पुत्री श्री महेन्द्र प्रताप जाति जाट निवासी 3 पीपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

––वादीगण––

बनाम

1. श्री महेन्द्र प्रताप पुत्र श्री कृपाराम जाति जाट निवासी 3 पीपी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पदमपुर।

––प्रतिवादीगण––

अन्तर्गत धारा :–88 आरटीए

निर्णय दिनांकः– 3/04/19

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता के प्रतिवादी सं0 1 के नाम से वाके चक 4 केके तहसील पदमपुर का खाता सं0 39/33 का मुरबा नं0 35 में 4.073 है0 मुरबा नं0 51 के 3.163 है0 नहरी कुल 7.236 है0 नहरी एवं खाता सं0 40/41 का मुरबा नं0 35 में 1.999 है0 नहरी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1.500 है0 व खाता सं0 41/42 के मुरबा नं0 36 की 3.036 है0 नहरी भूमि मे से 1.645 है0 नहरी भूमि इस प्रकार सभी खातों की कुल 10.381 है0 नहरी भूमि दर्ज कागजात है। प्रतिवादीसं0 1 जो कि वादीगण का पिता है तो उक्त भूमि अपने पिता कृपाराम की मृत्यु उपरांत विरास्तन प्राप्त हुई है, उक्त भूमि जद्दी जायदाद है जिसमें हम वादीगण का जन्म से ही अधिकार है उक्त भूमि में हम वादीगण का प्रप्येक का 1/4, 1/4, 1/4 विरास्तन हिस्सा बनता है। जिसकी घोषणा करवाने के हम वादीगण अधिकारी व हकदार है। प्रतिवादी सं0 1 उक्त भूमि अपने नाम होने का फायदा उठाते हुए बेचने की फिराक में है अगर प्रतिवादी सं0 1 उक्त भूमि का बेचान करने एवं खुर्द खुर्द करने में कामयाब हो गया तो हम वादीगण को नाम पूरा होने वाला नुकसान होगा जिसकी भरपाई मुद्रा में नहीं आंकी जा सकती है। हम वादीगण ने अपने दादा की भूमि चक 4 के के तहसील पदमपुर का खाता सं0 39/33 का मुरबा नं0 35 में 4.073 है0 ,मुरबा नं0 51 के 3.163 है0 नहरी कुल 7.236 है0 नहरी एवं खाता सं0 40/41 का मुरबा नं0 35 में 1.999 है0 नहरी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1.500 है0 व खाता सं0 41/42 के मुरबा नं0 36 की 3.036 है0 नहरी भूमि में से 1.645 है0 नहरी भूमि इस प्रकार सभी खातों की कुल 10.381 है0 भूमि में से अपने–अपने 1/4,1/4, 1/4 यानि प्रत्येक का 2.595 है0 भूमि को अपने–अपने नाम करवाने का कहा प्रतिवादी सं0 1 साफ इन्कार हो गया और कहने लगा कि मैं सारी भूमि का बेचान कर दूंगा जो यही वाद कारण वादीगण को प्रतिवादी के खिलाफ हासिल है। वादीगण निम्न प्रकार से क्लेम चाहते है। चक 4 के के तहसील पदमपुर का खाता सं0 39/33 का मुरबा नं0 35 में 4.073 है0 ,मुरबा नं0 51 के 3.163 है0 नहरी कुल 7.236 है0 नहरी एवं खाता सं0 40/41 का मुरबा नं0 35 में 1.999 है0 नहरी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1.500 है0 व खाता सं0 41/42 के मुरबा नं0 36 की 3.036 है0 नहरी भूमि में से 1.645 है0 नहरी भूमि इस प्रकार सभी खातों की कुल 10.381 है0 नहरी भूमि में से अपने–अपने 1/4,1/4, 1/4 हिस्सा जो कि वादीगण उक्त भूमि में जन्म से ही अधिकारी व की घोषणा करवाने अधिकारी है और इसी की घोषणा करवाना

Scanned with CamScanner

चाहते है। अन्य अनुतोष जो वादीगण के हक में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ हासिल हो दिलाया जायें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर जवाबदावा पेश कर निवेदन किया कि चक 4 के के तहसील पदमपुर का खाता सं0 39/33 का मुरबा नं0 35 में 4.073 है0 ,मुरबा नं0 51 के 3.163 है0 नहरी कुल 7.236 है0 नहरी एवं खाता सं0 40/41 का मुरबा नं0 35 में 1.999 है0 नहरी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1.500 है0 व खाता सं0 41/42 के मुरबा नं0 36 की 3.036 है0 नहरी भूमि में से 1.645 है0 नहरी भूमि इस प्रकार सभी खातों की कुल 10.381 है0 नहरी भूमि में से अपने–अपने 1/4,1/4, 1/4 हिस्सा की डिक्री करने की सहमति प्रार्थी देता है। राजपैरोकार की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया वाद मैं राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार विभाजन किया जाता है तो राजपैरोकार को कोई एतराज नहीं फिर भी राज्य हित को मध्य नजर रखते हुए निर्णय/आदेश पारित करने की कृपा करें।

वकील फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र अनुसार वाद डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया एवं वकील प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाता है तो हमें कोई आप्पति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस का मनन किया गया तो पाया कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी सं0 1 को कोई आपत्ति नही है व प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब में अपनी सहमति जाहिर की है। इसलिए वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज भूमि चक 4 के के तहसील पदमपुर का खाता सं0 39/33 का मुरबा नं0 35 में 4.073 है0 ,मुरबा नं0 51 के 3.163 है0 नहरी कुल 7.236 है0 नहरी एवं खाता सं0 40/41 का मुरबा नं0 35 में 1.999 है0 नहरी में से प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1.500 है0 व खाता सं0 41/42 के मुरबा नं0 36 की 3.036 है0 नहरी भूमि में से 1.645 है0 नहरी भूमि इस प्रकार सभी खातों की कुल 10.381 है0 नहरी भूमि में से वादी सं0 1 ता 3 प्रत्येक को 1/4, 1/4 हिस्सा खातेदार मालिक घोषित किया जाता है। इसी आशय की पर्चा डिग्री जारी होवें। निर्णय की प्रति तहसीलदार पदमपुर को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 3.04.19 .....को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(श्री सुभाष कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
पदमपुर

Scanned with CamScanner